

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम-26)

2021
645

(नरेश सोनी)
पीठाधीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन, गांवों के संग्रह अफिस

अज अदालत के ग्राम पंचायत
श्री 09 मेवानगर पंचायत (तय्यर च. इलाहाबाद - 2015)

नियम

बनाम

तहसीलदार, पंच. प. ६. २

किस्म मुकदमा

136/13

नं. 326

सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/12/21	<p>जहाँ सरपंच ग्राम पंचायत मेवानगर ने उशावन गांवों के संग्रह कलिया केम की ई मेवानगर में किये बन्द - पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा मेवानगर के ख. नं. 1218/146 वकवा 151-11 बीघा किरान जे. उ. गेहूँ पं. ख. नं. 653/146 वकवा 5.00 बीघा किरान जे. उ. रबी शकान जोर के गाछ रूई के, शकान जोर मोटे की स्थिति के कठफार तरकीम नवी की लई, हाजिरे हुकूम किया गये। तहसीलदार, पंचायत के द्वारा बाब जांच मोटे की स्थिति के कठफार तरकीम हुकूम करके की कठफार की गई।</p>	<p>Signature Z. L. R. (2021/13) Signature श्यामसिंह सरपंच ग्राम पंचायत, मेवानगर पं. स. बालोतरा (बाड़मेर) Signature 07/12/2021</p>



तारीख
हुक्म

उप वरदीनदार जमीन व जमीन से
 सुना गया / परवानगी का हमने अनुरोध
 किया, कि वह अवलोकन जमीन के
 द्वारा समयानुसार काट कर सड़क
 से गलत तरीके की गई है।
 मोटे की निशानि के अंतर्गत
 परसीम उल्लाह करके में किसी
 प्रकार की कोई काप की प्रतीति
 नहीं होती है।

जमीन के जमीन पर की
 वकील कर की जा मेवा नगर
 के रक-सं. 653/146 रकबा 5 बीघा
 अर्ध की परसीम उल्लाह नकशा
 के अनुसार करने हेतु उप वरदीनदार
 जमीन के जमीन दिये जाते हैं।
 निर्दिष्ट काग डि. 07-12-21 के अंतर्गत
 में अजमे काग के अनुसार जमीन
 परवानगी के लिये सुना देना नकशा
 के कर है।

(सुरेश शर्मा)
 जिलाधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कमिश्नर
 बालोतरा, प्रशासन गाँवों के संग कमिश्नर
 जिला प्रशासन पस

आज दिनांक
 उभारी अधिकारी
 एम.राट पटवारी हाल का
 कि साब गाम मेवा नगर के
 अंतर्गत परवानगी के
 पर पटवारी अंतर्गत अंतर्गत
 मोटे पर अंतर्गत हाल अंतर्गत
 अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत
 अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत
 अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत
 अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत